भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1381

20 सितंबर, 2020 को उत्तरार्थ

विषय: कैंसरकारी कीटनाशक

1381. श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री बिद्युत बरन महतोः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रासायनिक कीटनाशकों तथा कैंसर के बीच के संबंध का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी अध्ययन का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कैंसरकारी सिद्ध हुए रासायनिक कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कैंसरकारी कीटनाशकों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध लगाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने यह सूचित किया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा रसायनिक कीटनाशकों तथा कैंसर के बीच संबंध का पता लगाने वाला कोई अध्ययन नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, नागालैंड राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर ने भी किया है कि इन राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है।

(ग) से (ड.): केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड तथ पंजीकरण समिति ने यह सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी वर्गीकरण (आईएआरसी) के अनुसार, लिन्डेन तथा पेंटक्लोरोफेनॉल कीटनाशक सहित आर्सेनिक तथा अर्सेनिकीय यौगिक वे यौगिक है जो कैंसरकारी साबित हुए हैं।

भारत सरकार ने पहले से ही लिन्डेन, पेंटाक्लेरोफेनॉल, कॉपर, ऐसीटोअर्सेनाइट तथा सोडियम मिथेन अर्सेनेट कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में कैलसियम अर्सेनेट तथा लीड अर्सेनेट का पंजीकरण नहीं किया जाता है। देश में उपयोग हेतु वर्तमान में कोई अर्सेनिक आधारित कीटनाशकों को पंजीकृत नहीं किया गया है।

*****